जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड

CIN: U40109RJ2000SGC016489
पंजीकृत कार्यालय विधुत भवन, ज्योति नगर, जयपुर - 302005
Website.WWW.Jaipurdiscom.com
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई)
पुराना पावर हाऊस, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क जयपुर
(फोन नं. 0141–2200334, फैक्स नं. 0141–2202241)
E-Mail:serejvvnl@yahoo.co.in

क्र. जे.पी.डी. / अधी.अभि.(आर.ई) / अधि.अभि.(आर.ई–II) / प. / प्रे. 1225, दिनांक 26/9/17

अधीक्षण अभियन्ता (पवस / ज.जि.वृ.),
जयपुर डिस्कॉम,
अलवर / भरतपुर / धौलपुर / दौसा / करौली / जयपुर /
झालावाड / बांरा / कोटा / बूंदी / सवाईमाधौपुर / टौंक।

विषय :– "सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना" में प्रावधान व आवेदन के संबंध में।
संदर्भ :– इस कार्यालय पत्र क्रमांक 887 दिनांक 19.07.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी सन्दर्भित पत्र में यह प्रावधान किया गया था कि जो कृषि कनेक्शन आवेदन विद्युत वितरण निगमों में 3 HP/ 5 HP के लिए सामान्य श्रेणी में पंजीकृत थे, उनके द्वारा उद्यानिकी विभाग में सोलर पम्प सैट स्थापित करने हेतु अपने कृषि कनेक्शन आवेदनों को समर्पित कर दिया था एवं इन आवेदकों को आज दिनांक तक सोलर सोलर कृषि कनेक्शन, उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया हैं। ऐसे आवेदक भी रू. 1000/– पंजीकृत शुल्क जमा करवाकर एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी सोलर कृषि पम्प स्थापित नहीं किये जाने का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ ले सकते है। इनकी वरीयता मूल आवेदन की तिथि के अनुसार ही मानी जायेगी।

उक्त प्रावधान के अधिक्रमण में अब यह प्रावधान किया जाता है कि अब ऐसे आवेदकों को उद्यानिकी विभाग द्वारा सोलर कृषि पम्प स्थापित नहीं किए जाने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु ऐसे आवेदक रू. 50/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र (संलग्न परिशिष्ट–अ) प्रस्तुत कर रू. 1000/– पंजीकृत शुल्क जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते है। इनकी वरीयता मूल आवेदन की तिथि के अनुसार ही मानी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नये आवेदक जो कि सामान्य श्रेणी में पंजीकृत करवाकर सोलर कृषि कनेक्शन योजना में आवेदन करते है उन्हें किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र उद्यानिकी विभाग से प्राप्त करने की आवश्कता नहीं है।

25.9.17
अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक (तकनीकी) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
2. मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
2. निदेशक, उद्यानिकी विभाग, पंत कृषि भवन, जनपथ,जयपुर
3. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन / भरतपुर जोन / कोटा जोन) जयपुर डिस्कॉम,जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान / पीपीएण्डएम), अजमेर / जोधपुर डिस्काम, अजमेर / जोधपुर

25/9/17
अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.)

परिशिष्ट–अ

शपथ पत्र

(50 रूपये के नान–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

नोटरी पब्लिक /प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेड द्वारा सत्यापित

मैं——————————————————पुत्र श्री——————————————————

निवासी—————————————— ग्राम——————————————————————

तहसील ————————————जिला——————————शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ

कि मेरे खसरा नं.———————————— ग्राम——————— तहसील———————

पर उद्यानिकी विभाग द्वारा सोलर पम्प संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है एवं ना ही यह प्रक्रिया में है

————————

दिनांक–

स्थान–

आवेदक

हस्ताक्षर

मुद्रा नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेड